भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2009/सिक.(स्पे) आरएसकेएन/जीबी नई दिल्ली, दिनांक: 16 .12.2019

निदेश सं.46 (संशोधित) आशोधन

विषय: रेल सुरक्षक कल्याण निधि (आरएसकेएन) के अंतर्गत सहायता संवर्द्धन।

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 8 के साथ पठित (समय-समय पर यथा संशोधित) रे.सु.ब.नियमावली 1987 के नियम 28 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त विषय पर पिछले सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, आरएसकेएन के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. **मृत्यु:**

श्रेणी	विवरण	अनुदान
क	सेवा के दौरान मृत्यु	₹1.5 लाख का एकमुश्त अनुदान
ख	ड्यूटी के कारण ड्यूटी के दौरान मृत्यु	ड्यूटी के समय वीरता प्रदर्शन के दौरान मृत्यु के लिए निधि मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुदान। उपर्युक्त के अतिरिक्त ड्यूटी के दौरान ड्यूटी संबंधी कारणों के कारण मृत्यु के अन्य मामलों में ₹15 लाख का एकमुश्त अनुदान। (शहीदों की विधवाओं/आश्रिताओं के लिए बल सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एक दिन का वेतन का किया गया गया अंशदान आरएसकेएन निधि मुख्यालय के खाते में जमा किया जाएगा)।

2. **ड्यूटी के समय अपंगता अथवा अन्य किसी प्रकार की निशक्तता के कारण अमान्यता: ₹1लाख**

3. **ड्यूटी से इतर कारणों से निशक्तता: ₹50,000/-**

4. **आवधिक चिकित्सा जांच के कारण विकोटिकरण (केटेगरी में परिवर्तन):**

आमतौर पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, किसी सदस्य को पूरी तरह से अनफिट घोषित किए जाने पर, उसके आश्रित को ₹50,000/- की एकमुश्त राशि दी जा सकती है।

5. **अन्तयेष्टि व्यय:**
मृत्यु के प्रत्येक मामले में ₹20,000/-

6. **विपत्ति सहायता कोष (वीएसके):**

क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधन समिति	(i) आरपीएफ कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए ₹1,00,000/- तक (ii) आरपीएफ कार्मिकों के स्वयं के उपचार के लिए कुल ₹2,00,000/- तक
निधि मुख्यालय प्रबंधन समिति	(i) आरपीएफ कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लिए ₹2,00,000/- तक (ii) आरपीएफ कार्मिकों के स्वयं के उपचार के लिए कुल ₹4,00,000/-
नोट: (i) आरपीएफ कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के उपचार के प्रत्येक मामले में ₹2,00,000/- तक और (ii) आरपीएफ कार्मिकों के स्वयं के उपचार के लिए कुल ₹4,00,000/- तक	

- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य बल के कार्मिकों/उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी, टर्मिनल रोग, अस्पताल में भर्ती होने आदि के कारण होने वाली परेशानी को कम करना है।
- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिए जाएं। बहरहाल, विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने का अंतिम निर्णय प्रबंधन समिति के पास ही होगा।
- विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों पर प्रारंभ में ज़ोनल स्तर/आरपीएसएफ की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर/(रे.सु.वि.ब.)आरपीएसएफ पर प्रबंधन समिति की उनके आश्रितों के उपचार के लिए ₹1,00,000/- और स्वयं के उपचार के लिए ₹2,00,000/- की ज़ोनल सीमा समाप्त होने के बाद और कर्मचारी को एक लाख रुपए की ज़ोनल सीमा से अधिक की वित्तीय सहायता की जरूरत होने के मामले में विपत्ति सहायता कोष के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय लाभ पर विचार करने के लिए ऐसे मामले ज़ोन की प्रबंधन समिति द्वारा निधि मुख्यालय को अग्रेषित किए जाएंगे।

- इन बीमारियों की निर्देशात्मक सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

7. **अनुग्रह राशि:**

अनुग्रह राशि	**सेवा अवधि**	**राशि**
सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा सेवा से निष्कासन/ बर्खास्तगी/ त्याग पत्र/ चिकत्सीय रूप से विकोटिकृत	पांच वर्ष से कम सेवा	₹2,000/-
	5 से 10 वर्ष की सेवा	₹5,000/-
	10 से 20 वर्ष की सेवा	₹10,000/-
	20 से 30 वर्ष की सेवा	₹15,000/-
	30 से अधिक वर्ष की सेवा	₹20,000/-

- कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके निकट आश्रित को एकमुश्त अनुदान दिए जाने पर अनुग्रह राशि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. **शैक्षिक सहायता:** सदस्यों के 1500 मेधावी आश्रितों को मेरिट छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) उन मेधावी आश्रितों की एक सूची तैयार करें और उन्हें आबंटित की गई छात्रवृत्ति की संख्या तक छात्रवृत्ति प्रदान करें। छात्रवृत्ति पर विचार किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हता अंक 60 प्रतिशत हैं।

8.1 छात्रवृत्ति की राशि, अवधि, ज़ोन-वार आबंटन और छात्रवृत्ति का अनुपात:

कक्षा	**छात्रवृत्ति की राशि**
10+2 अध्ययन हेतु (11वीं/12वीं/ हेतु)	₹5,000/- प्रति वर्ष (2 वर्ष हेतु)
पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम	₹6,500/- प्रति वर्ष
12वीं से आगे अध्ययन हेतु	₹7,500/- प्रति वर्ष (पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार)
स्नातकोत्तर के लिए	₹10,000/- प्रति वर्ष

8.2 मेडिकल और तकनीकी पाठ्यक्रम प्राप्त करने वाले आश्रितों के पाठ्यक्रम की अवधि अर्थात मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्ष और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 4 वर्ष की अवधि के अनुसार मेरिट छात्रवृत्ति योजना भी उपलब्ध रहेगी।

8.3 इन 1500 छात्रवृत्तियों का ज़ोन-वार वितरण **'अनुलग्नक ख'** के रूप में संलग्न है।

8.4 मेरिट छात्रवृत्ति के आवेदनों, जिन पर ज़ोनल स्तर पर विचार नहीं किया जा सका, को नीचे लिखे फॉर्मेट में एमएस एक्सेल में 15 सितंबर तक रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया जा सकता है:-

10+2 एवं पॉलिटेक्निक के दौरान छात्रवृत्ति:**'अनुलग्नक सी'**

12 प्लस एवं स्नातकोत्तर के दौरान छात्रवृत्ति: **'अनुलग्नक डी'**

8.5 **छात्रवृत्तियों का अनुपात**: 10+2/पॉलिटेक्निक (11वीं/12वीं/ पॉलिटेक्निक के लिए) और 12वीं प्लस/स्नातकोत्तर के बीच छात्रवृत्तियों का अनुपात 70:30 होगा, जो निम्नानुसार है:

- 10+2 एवं पॉलिटेक्निक(11वीं/12वीं/पॉलिटेक्निक के लिए) हेतु छात्रवृत्तियों की संख्या- 1050 छात्रवृत्तियां
- स्नातक /स्नातकोत्तर डिग्री(12वीं/स्नातकोत्तर) हेतु छात्रवृत्तियों की संख्या-450 छात्रवृत्तियां

8.6 आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों के केवल 2 आश्रितों तक ही मेरिट छात्रवृत्ति स्वीकार्य होगी।

9. सदस्यता और अंशदान:

(i) प्रवेश शुल्क	एंसीलरी रैंक से सहायक उप निरीक्षक	₹1,250/-
	उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	₹2,500/-
	सहायक सुरक्षा आयुक्त से वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	₹3,750/-
	उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक, महानिदेशक	
(ii) वार्षिक अंशदान		
प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में दो किश्तों में काटा जाएगा	एंसीलरी रैंक से सहायक उप निरीक्षक	₹1,000/-
	उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	₹1,500/-
	सहायक सुरक्षा आयुक्त से वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त	₹2,500/-
	उप महानिरीक्षक से महानिदेशक	₹3,000/-

नोट: मौजूदा पद्धति के अनुसार, आरएसकेएन की सदस्यता सभी सेवारत आरपीएफ/ आरपीएसएफ कार्मिकों के लिए अनिवार्य है।

10. **दिव्यांग आश्रितों को शैक्षिक सहायता:**

बल कार्मिकों के दिव्यांग आश्रितों की कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा के लिए प्रति माह ₹1,000/- और स्नातक डिग्री तक की शिक्षा के लिए प्रति माह ₹2,000/- की मासिक शिक्षा सहायता दी जाएगी। निशक्तता का मानदंड 50 प्रतिशत और उससे अधिक होना चाहिए तथा क्षेत्रीय रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

11. **निधि मुख्यालय को विप्रेषण:**

11.1 क्षेत्रीय रेलों द्वारा कर्मचारियों से केवल 10 प्रतिशत अंशदान वसूल किया जाएगा और इसे निधि मुख्यालय को विप्रेषित किया जाएगा।

11.2 क्षेत्रीय रेलों को अंशदान की 10 प्रतिशत राशि का विप्रेषण सुनिश्चित करना होगा और निधि की प्रतिपूर्ति के लिए निधि मुख्यालय को अनुरोध करने से पहले फायर्ड एम्पटी कार्टरिज (75 प्रतिशत) की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

11.3 क्षेत्रीय रेलों/आरपीएसएफ में आरपीएफ/आरपीएसएफ कैंटीनों द्वारा अर्जित 8 प्रतिशत अधिशेष राशि निधि मुख्यालय को विप्रेषित की जाएगी।

11.4 इस प्रकार के सभी लेन-देन आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए किए जाएंगे।

11.5 क्षेत्रीय रेलों की ओर से निधि मुख्यालय को राशि का समय पर विप्रेषण सुनिश्चित किया जाएगा (i) जनवरी एवं जुलाई माह में सदस्यों से अंशदान प्राप्त होने के तत्काल बाद और (ii) अप्रैल माह में वित्त वर्ष समाप्त होने के तत्काल बाद (कैंटीन अधिशेष के मामले में)।

12. **सामूहिक पुरस्कार का संवितरण:**

आरएसकेएन की शासी निकाय बैठक 2009 में यथा निर्धारित, माननीय मंत्रियों द्वारा स्वीकृत सामूहिक पुरस्कारों (1 लाख रुपए से अधिक) का संवितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

25 प्रतिशत राशि कर्मचारियों में वितरित की जाएगी।
75 प्रतिशत राशि आरएसकेएन/निधि मुख्यालय में जमा कराई जाएगी।

13. सब्सिडिएरी कैंटीन खोलना:

प्रत्येक मंडल/बटालियन को सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी) के अंतर्गत सब्सिडिएरी कैंटीन खोलने के लिए आरएसकेएन से पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकार्य होगा। इस ब्याज मुक्त ऋण को ब्याज मुक्त ऋण देने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वापस करना होगा।

14. क्षेत्रीय रेलों के ई-सुविधा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आरएसकेएन सहायता के बारे में सूचना दर्ज करने के लिए एक कॉलम बनाया जाएगा।

15. क्षेत्रीय रेल के पास उपलब्ध अधिशेष निधि को अतिरिक्त निधि पर ब्याज अर्जन के लिए फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट/एफडीआर में परिवर्तित किया जा सकता है। संघ के सशस्त्र बल की कल्याण निधि होने के नाते आरएसकेएन आयकर अधिनियम की धारा 10 (23एए) के अंतर्गत कर देयताओं से छूट प्राप्त है।

16. क्षेत्रीय रेलों को सुनिश्चित करना होगा कि आरएसकेएन की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए ताकि तदनुसार तत्काल ही कर संबंधी लाभ उठाए जा सकें।

17. संबंधित पीसीएससी ज़ोनल स्तर पर आरएसकेएन की प्रबंधन समिति में विभिन्न रैंक में बल के सदस्यों को समाविष्ट कर सकते हैं। बहरहाल, जहां तक आरएसकेएन समिति में आरपीएफ एसोसिएशन के सहयोगी प्रतिनिधियों का संबंध है, इसके लिए बोर्ड के दिनांक 03.04.2019 के पत्र सं.2010/सिक.(स्पे)/6/1 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण प्रचलित हैं।

18. सभी आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को आरएसकेएन के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया जाए।

30/6/12

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ, सभी क्षेत्रीय रेलें, आईसीएफ, केआरसीएल, कोर, निर्माण, आरपीएसएफ और आरडीएसओ।

निदेशक/ जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ और मौला अली।